


24.09.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रकरण 2017 से तलबी स्तर पर लंबित चल रहा है। वादी वकील को दिनांक 01.04.2024 को कोष्ट पर अवसर अन्तिम अवसर दिया गया था। आगामी कोई कार्यवाही नहीं होने से स्पष्ट जाहिर हो रहा है। कि वादी पक्ष कार्यवाही नहीं चाहता। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़